$~47 & 48

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 21.12.2023
उद्घोषित: 08.01.2024

<u>जमानत आ. 2356/2023, आप.वि.(जमानत) 996/2023, आप.वि.आ. 18543/2023 एवं आप.वि.आ. 18544/2023</u>

नीरज सिंघल ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. अभिषेक मेनू सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विकास पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री रंजना रॉय गवई, श्री उज्जवल जैन, सुश्री शांभवी कश्यप, श्री अदित पुजारी, श्री आविष्कार सिंघवी, श्री गार्निल सिंह और श्री वी. वाधवा, अधिवक्तागण।

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय .....
प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, विशेष अधिवक्ता सह श्री विवेक गुरनानी, श्री बैभव, सुश्री मनीषा दुबे, सुश्री प्रांजल त्रिपाठी, अधिवक्तागण, श्री अनुज कुमार, एडी-ईडी और श्री संकेत सिन्हा, एईओ-ईडी।

<u>आप.वि.वा. 4376/2023, आप.वि.आ. 16658/2023 एवं आप.वि.आ. 16660/2023</u>

नीरज सिंघल ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, डॉ. अभिषेक मेनू सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री विकास पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह सुश्री रंजना रॉय गवई, श्री उज्जवल जैन, सुश्री शांभवी कश्यप, श्री अदित पुजारी, श्री आविष्कार सिंघवी, श्री गार्निल सिंह और श्री वी. वाधवा, अधिवक्तागण।

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय .....
प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री जोहेब हुसैन, विशेष अधिवक्ता सह श्री विवेक गुरनानी, श्री बैभव, सुश्री मनीषा दुबे, सुश्री प्रांजल त्रिपाठी, अधिवक्तागण, श्री अनुज कुमार, एडी-ईडी और श्री संकेत सिन्हा, एईओ-ईडी।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

<u>निर्णय</u>

<u>न्या. विकास महाजन</u>

1. उपरोक्त दोनों मामलों में शामिल मुद्दे आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका निपटान एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. आप.वि.वा. 4376/2023 याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत की माँग करते हुए दायर किया गया है:

(i) याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को दं.प्र.सं. की धारा 41क(3) में विधि के स्थापित सिद्धांतों का घोर उल्लंघन घोषित करें;

(ii) विद्वान ड्यूटी न्यायाधीश/विशेष सीबीआई न्यायाधीश द्वारा दिनांक 10.06.2023 और 20.06.2023 को पारित रिमांड आदेश सहित सभी परिणामी कार्रवाइयों को शून्य और अमान्य घोषित करें;

(iii) वर्तमान याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान तक, यह माननीय न्यायालय दिनांक 10.06.2023 और 20.06.2023 के आक्षेपित आदेश पर रोक लगाने की कृपा करें;

(iv) वर्तमान याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित रहने तक, माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता को घोर अवैध अभिरक्षा और कारावास से रिहा करने की कृपा करें;

(v) सुनवाई और अंतिम निपटान लंबित रहने तक, याचिकाकर्ता के विरुद्ध ईसीआईआर सं. डीएलजेडओ-II/06/2019 दिनांक 29.08.2019 में आगे की जाँच पर रोक लगाई जाए;

(vi) मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ऐसी अन्य तथा आगे की अंतरिम/अंतरिम राहतें दी जाएँ।"

3. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजीकृत डीएलजेडओ-II/06/2019 में नियमित जमानत देने की माँग करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से जमानत आवेदन सं. 2356/2023 दायर की गई है।

4. उपरोक्त दोनों मामलों के निपटान के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

i. याचिकाकर्ता एक व्यवसायी है और मैसर्स भूषण स्टील लिमिटेड (इसके पश्चात् 'बीएसएल' के रूप में संदर्भित) का पूर्व प्रचारक, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक था। हालाँकि, दिवाला और क्षोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाहियों के अनुसरण में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा पारित 15.05.2018 के आदेश के अनुसार बीएसएल को टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था।

ii. टाटा स्टील द्वारा बीएसएल का अधिग्रहण किए जाने से पहले, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03.05.2016 के आदेश के माध्यम से गंभीर कपट अन्वेषण अधिकारी (इसके पश्चात् "एसएफआईओ" के रूप में संदर्भित) द्वारा बीएसएल के मामलों की जाँच का आदेश दिया था। एसएफआईओ ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 सहित विभिन्न उपबंधों और

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 409/467/468/471 और 120ख के अंतर्गत शिकायत दर्ज की।

iii. इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात् "पीएमएलए" के रूप में संदर्भित) के उपबंधों के अंतर्गत विषयगत ईसीआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने जनता के 46,000 करोड़ रुपये से अधिक की हानि की है। प्रत्यर्थी का मामला यह है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के साथ मौनानुकूल रूप से जानबूझकर बीएसएल और अन्य समूह कंपनियों के नाम पर ऋण निधियों का अवैध अधिग्रहण किया और 150 से अधिक कंपनियों के एक जटिल जाल के माध्यम से अपराध से प्राप्त आय के शोधन में लिप्त रहा, जिसका मूल अर्थात स्वामित्व और नियंत्रण एक ही है जो श्री नीरज सिंघल (यहाँ याचिकाकर्ता) और श्री भारत भूषण सिंघल के पास है।

iv. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने प्रत्यर्थी की जाँच में सहयोग किया है, इस मामले में वह लगभग 14 बार प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित हुआ है और उसने लगभग 7500 पृष्ठों के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 2009-2017 की अवधि के लिए सभी 148 कंपनियों के बैंक विवरण और तुलन-पत्र शामिल हैं।

v. बाद में, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी से दिनांक 03.06.2023 का समन मिला जिसमें उसे 09.06.2023 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। 09.06.2023 को, याचिकाकर्ता अपनी कथित अस्वस्थता के कारण प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा और उसने अनुरोध किया कि उसकी उपस्थिति को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया जाए या उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता ने उक्त तिथि को प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपना अधिकृत प्रतिनिधि भी भेजा।

vi. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसी दिन, लगभग 04:50 बजे प्रत्यर्थी के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के आवासीय परिसर में प्रवेश किया और तलाशी ली और उसके बाद, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा रात 10:25 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

vii. याचिकाकर्ता को 10.06.2023 को विद्वान विशेष न्यायाधीश (सीबीआई), राउज एवेन्यू न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने 10 दिनों के लिए रिमांड मंजूर की, जिसे दिनांक 20.06.2023 के आदेश के अंतर्गत आगे बढ़ा दिया गया।

5. प्रारंभ में, जब मामले पर बहस हुई, तो याचिकाकर्ता की ओर से श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता और श्री विकास पाहवा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गईं। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का मुख्य बिंदु यह था कि – (i) याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41क के विपरीत है; (ii) याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19(1) का उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी गई थी। इस तर्क पर विस्तार से बताते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त उपबंध के अनुसार सूचना देने की प्रक्रिया में गिरफ्तारी के आधार की एक प्रति प्रदान करना शामिल होगा क्योंकि अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी स्मृति से कई पृष्ठों वाले दस्तावेज़ को याद कर ले; (iii) याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी भी पीएमएलए की धारा 19(2) का उल्लंघन है क्योंकि गिरफ्तारी के आदेश की प्रति और उसके अनुसार गिरफ्तारी अधिकारी के पास मौजूद सामग्री को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को तुरंत अग्रेषित नहीं किया गया था। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी 09.06.2023 को की गई थी, जबकि न्यायानिर्णायक प्राधिकरण को सूचना 12.06.2023 को दी गई थी, जैसा कि गिरफ्तारी सूचना पत्र (अनुलग्नक आर-4) से पता चलता है।

6. वर्तमान मामलों में उठाया गया विवाद पीएमएलए की धारा 19 के आदेश के गैर-अनुपालन से संबंधित है, इसलिए, तत्पर संदर्भ के लिए उक्त उपबंध नीचे उद्धृत किया गया है:

*19. **गिरफ्तार करने की शक्ति** - (1) यदि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के पास उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए कारण लेखबद्ध किए जाएँगे) कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और यथासंभव शीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।*

(2) निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक या कोई अन्य अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति के गिरफ्तार किए जाने के ठीक पश्चात् आदेश की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री के साथ ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सीलबंद लिफाफे में ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के ऐसे आदेश और सामग्री को ऐसी अवधि तक रखेगा जो विहित की जाए।

(3) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति, चौबीस घंटे के भीतर, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाले [विशेष न्यायालय या] किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा:

परन्तु चौबीस घंटे की अवधि से वह समय अपवर्जित किया जाएगा जो गिरफ्तारी के स्थान से [विशेष न्यायालय या] मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक है।"

7. वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, पीएमएलए की धारा 19(1) की व्याख्या पर विधि उच्चतम न्यायालय के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। ***वी. सेंथिल बालाजी बनाम राज्य*** में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पीएमएलए अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक अधिकृत अधिकारी दं.प्र.सं. की धारा 41क का कठोरता का पालन करने के लिए बाध्य

नहीं है, क्योंकि पीएमएलए के अंतर्गत पहले से ही एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं।

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसे गिरफ्तारी के आधारों की सूचना 'प्रदान' की जानी अनिवार्य है और पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के आदेश का अनुपालन न करने से गिरफ्तारी स्वयं ही दूषित हो जाएगी। ***वी. सेंथिल बालाजी*** (पूर्वोक्त) के निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"35. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत एक प्राधिकृत अधिकारी पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के अंतर्गत बाध्यकारी शर्तों के विपरीत दं.प्र.सं., 1973 की धारा 41क की कठोरता का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि चूँकि पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत पहले से ही एक विस्तृत प्रक्रिया मौजूद है, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पक्ष में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं, इसलिए दं.प्र.सं., 1973 की धारा 41क यहाँ लागू नहीं होती।*
>
> ***xxxx xxxx xxxx xxxx***
>
> *39. गिरफ्तारी करने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को अपने कब्जे में मौजूद सामग्री का आकलन और मूल्यांकन करना होता है। ऐसी सामग्रियों के माध्यम से, उससे यह विश्वास करने का कारण बनाने की अपेक्षा की जाती है कि कोई व्यक्ति पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है। इसके बाद, वह कारण दर्ज करने के अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते हुए गिरफ्तारी करने के लिए स्वतंत्र है। उक्त अभ्यास के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की सूचना दी जानी चाहिए। पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के आदेश का कोई भी गैर-अनुपालन गिरफ्तारी को ही दूषित कर देगा। उप-धारा (2) के अंतर्गत, अधिकृत*

अधिकारी गिरफ्तारी के तुरंत बाद, उप-धारा (1) के अंतर्गत आदेश की एक प्रति, अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ, जो उसके विश्वास का आधार बनती है, एक मुहरबंद लिफाफे में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को भेजेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उप-धारा (2) का अनुपालन भी गिरफ्तार करने वाले प्राधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो किसी अपवाद को बर्दाश्त नहीं करता है।"

(ज़ोर दिया गया)

8. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारगण ने पीएमएलए की धारा 19(1) के अनुपालन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त शब्द 'प्रदान करने' की व्याख्या तथा वर्तमान मामले के तथ्यों पर उक्त निर्णय की प्रयोज्यता के संबंध में अपने-अपने प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किए। हालाँकि, ***पंकज बंसल बनाम भारत संघ*** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा स्थिति तय होने के बाद ये मुद्दे महत्वहीन हो गए।

9. ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गिरफ्तारी के आधार बिना किसी अपवाद के अभियुक्त/गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बताए जाएँगे। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में लिखित रूप से सूचित करना 'अब से' आवश्यक होगा। ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार हैं:

*"36. **ऐसी स्थिति में, इस बात का कोई वैध कारण नहीं है कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के क्यों नहीं दी जानी चाहिए।***

इसके दो प्राथमिक कारण हैं कि सिद्धांत के रूप में इस कार्रवाई का पालन करना उचित क्यों होगा। सबसे पहले, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मौखिक रूप से गिरफ्तारी के आधार बताए जाते हैं या फिर ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा केवल पढ़े जाते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और आगे चलकर इस तथ्य पर विवाद होता है, तो इस तथ्य की सत्यता कि इस संदर्भ में उचित अनुपालन किया गया था या नहीं इसका उत्तर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और प्राधिकृत अधिकारी के दावों के बीच अटककर रह जाएगा। वर्तमान मामले में, जहाँ तक बसंत बंसल का प्रश्न है, यही स्थिति है। हालाँकि ईडी का दावा है कि साक्षी मौजूद थे और प्रमाणित किया कि गिरफ्तारी के आधार उसे हिंदी में पढ़कर सुनाए और समझाए गए थे, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस संबंध में अनुपालन न करने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सीधे रिहा कर दिया जाएगा, जैसा कि वी. सेंथिल बालाजी (पूर्वोक्त) में अभिनिर्धारित किया गया है। ऐसी अनिश्चित स्थिति को आसानी से टाला जा सकता है और इसके परिणामों को बहुत आसानी से रोका जा सकता है, यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम 2002 की धारा 19(1) के अनुसार गिरफ्तारी के लिखित आधारों को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उचित पावती के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाए, बजाय इसके कि इसे प्राधिकृत अधिकारी की विवादास्पद स्वप्रेरणा पर छोड़ दिया जाए।

37. दूसरा कारण यह है कि ऐसा करना उचित होगा, क्योंकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी सूचना देने का संवैधानिक उद्देश्य निहित है। इस सूचना के संप्रेषण का उद्देश्य न केवल गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह बताना है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को विधिक सलाह लेने, तथा उसके बाद, यदि वह चाहे तो धारा 45 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष जमानत पर रिहाई के लिए मामला प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना भी है। इस संबंध में, वी. सेंथिल बालाजी (पूर्वोक्त) में गिरफ्तारी के आधार अभिलेख में रखे गए हैं और हम पाते हैं कि ये छह पृष्ठों तक के हैं। पंकज बंसल और बसंत बंसल के संबंध में मामले में दर्ज गिरफ्तारी के आधार इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं,

लेकिन यह तर्क दिया गया कि उन्हें रिमांड के समय प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इससे इच्छित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, यदि उनकी गिरफ्तारी के आधार समान रूप से विस्तृत हों, तो पंकज बंसल या बसंत बंसल के लिए भविष्य में विधिक उपचार प्राप्त करने के लिए जो कुछ उन्होंने पढ़ा या सुना था, उसे अभिलिखित करना और याद रखना लगभग असंभव होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति अभी-अभी गिरफ्तार हुआ है तो वह शांत और संयमित मनोदशा में नहीं होगा तथा गिरफ्तारी के कारणों को याद रखने में पूरी तरह से असमर्थ हो सकता है, जो उसे पढ़ा गया हो या उसे पढ़कर सुनाया गया हो। इस संवैधानिक और कानूनी संरक्षण का मूल उद्देश्य निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्राधिकारियों को गिरफ्तारी के आधारों को, चाहे उनकी लंबाई और विस्तार कुछ भी हो, केवल पढ़ने या पढ़ने की अनुमति देने की अनुमति मिल जाएगी, और वे अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत संवैधानिक आवश्यकता और 2002 के अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत कानूनी आदेश का उचित अनुपालन करने का दावा करेंगे।

XXXX XXXX XXXX XXXX

39. ***उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी देने के लिए अधिनियम 2002 की धारा 19(1) के संवैधानिक और कानूनी आदेश को सही अर्थ और उद्देश्य देने के लिए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि 'अब से' यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए।*** *मोइन अख्तर कुरैशी (पूर्वोक्त) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय और छगन चंद्रकांत भुजबल (पूर्वोक्त) मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय, जो इसके विपरीत हैं, सही विधि नहीं बताते हैं। वर्तमान मामले में, स्वीकार्य स्थिति यह है कि प्रवर्तन निदेशालय के जाँच अधिकारी ने केवल अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी के आधार को पढ़ा या पढ़ने की अनुमति दी और इसे वहीं छोड़ दिया, जिस पर अपीलार्थीगण ने भी विवाद किया है। चूँकि संचार का यह तरीका संविधान के अनुच्छेद 22(1) और 2002 के*

अधिनियम की धारा 19(1) के अधिदेश के अनुपालन के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया है, इसलिए हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी 2002 के अधिनियम की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुरूप नहीं थी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही में ईडी का गुप्त आचरण, पहली ईसीआईआर के संबंध में अंतरिम संरक्षण प्राप्त करने के तुरंत बाद दूसरी ईसीआईआर दर्ज करना, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इससे शक्ति के मनमाने प्रयोग की बू आती है। वस्तुतः, अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी और परिणामस्वरूप, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की अभिरक्षा में भेजना तथा उसके बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजना, संधार्य नहीं रखा जा सकता।"

(ज़ोर दिया गया)

10. ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में निर्णय उद्घोषित किए जाने के बाद, पक्षकारगण द्वारा मौखिक उल्लेख किए जाने पर, मामले को पुनः सूचीबद्ध किया गया और पक्षकारगण को इस सीमित पहलू पर सुना गया कि क्या उक्त निर्णय अपने अनुप्रयोग में भावी है।

11. प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिया गया कि ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में लिया गया निर्णय लागू होने की दृष्टि से भावी है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने का दायित्व 'अब से' से प्रभावी होगा। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उच्चतम न्यायालय ने केवल विद्यमान विधि अर्थात पीएमएलए की धारा 19 की स्थिति को स्पष्ट किया है तथा कोई नई विधि नहीं बनाई है, इसलिए उक्त निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है।

12. ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) मामले में पारित निर्देश भविष्य में लागू होंगे या नहीं, यह प्रश्न ***राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में 'अब से' अभिव्यक्ति का प्रयोग यह दर्शाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता उक्त निर्णय की घोषणा की तिथि तक अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं थी और तदनुसार, उक्त तिथि तक लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत न करना न तो अवैध माना जा सकता है और न ही इसे लिखित में प्रस्तुत न करने में संबंधित अधिकारी की कार्रवाई को गलत माना जा सकता है। निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"23. **जैसा कि पंकज बंसल मामले में दिए गए निर्णय से स्पष्ट है, पीएमएलए की धारा 19 के अंतर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही असंगत प्रथा को देखते हुए, निर्देश दिया गया कि गिरफ्तारी के आधार को "अब से" अर्थात निर्णय की घोषणा की तिथि से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए।** "अब से" शब्द का प्रयोग ही इस बात को दर्शाता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने की उक्त आवश्यकता उक्त निर्णय की तिथि तक अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं थी. **अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिंघवी की यह प्रस्तुति कि उक्त निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक था, स्वीकार नहीं किया जा सकता, जबकि निर्णय में स्वयं कहा गया है कि यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के ऐसे लिखित आधारों की एक प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से और बिना किसी अपवाद के उपलब्ध कराई जाए। इसलिए पंकज बंसल मामले में निर्णय की घोषणा की तिथि***

तक गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में प्रस्तुत न करना न तो अवैध माना जा सकता है और न ही इसे लिखित रूप में प्रस्तुत न करने में संबंधित अधिकारी की कार्रवाई को गलत ठहराया जा सकता है। *इस प्रकार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने की कार्रवाई पीएमएलए की धारा 19 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का पर्याप्त अनुपालन है, जैसा कि विजय मदनलाल (पूर्वोक्त) में कहा गया है।"*

(ज़ोर दिया गया)

13. ***राम किशोर अरोड़ा*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की थी कि पीएमएलए की धारा 19 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'यथाशीघ्र' को ***विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ*** में ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या ***वी. सेंथिल बालाजी*** (पूर्वोक्त) या ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में की गई है। तदनुसार, न्यायालय ने टिप्पणी की कि 'यथाशीघ्र' अभिव्यक्ति की व्याख्या महत्वपूर्ण हो जाती है। ***अब्दुल जबार बट एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य*** मामले में संविधान पीठ के निर्णय तथा ***दुर्गा पद घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य*** मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 में निहित 'यथाशीघ्र' की व्याख्या 'बिना किसी विलंब के यथाशीघ्र' या 'उचित सुविधाजनक' या 'उचित रूप से अपेक्षित समयावधि के भीतर' के रूप में की जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के लिए उचित रूप से

सुविधाजनक या उचित रूप से अपेक्षित समय गिरफ्तारी के चौबीस घंटे बाद होगा।

14. आगे विस्तार से बताते हुए, न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह न केवल पीएमएलए की धारा 19 बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का भी पर्याप्त अनुपालन होगा, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित या अवगत कराया जाए और उसे जल्द से जल्द, अर्थात् 'बिना किसी विलंब के यथासंभव शीघ्र' और 'उचित रूप से सुविधाजनक' और 'उचित रूप से अपेक्षित' समय अवधि के भीतर, जो गिरफ्तारी के चौबीस घंटे होगी, गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित सूचना दी जाए। निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

> *"21. **उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीएमएलए की धारा 19 में निहित अभिव्यक्ति "यथाशीघ्र" को "बिना किसी विलंब के यथासंभव शीघ्र" या "उचित रूप से सुविधाजनक" या "उचित रूप से अपेक्षित" समय अवधि के रूप में समझा जाना आवश्यक है।** चूँकि सुरक्षा के तौर पर संबंधित अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद आदेश की एक प्रति अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजे, तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करे, **इसलिए हमारी राय में, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के लिए उचित रूप से सुविधाजनक या उचित रूप से अपेक्षित समय गिरफ्तारी के चौबीस घंटे बाद होगा।***
>
> *22. विजय मदनलाल चौधरी (पूर्वोक्त) में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में*

सूचित किया जाता है, तब तक यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन है। यह भी उल्लेख किया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर विशेष न्यायालय के समक्ष पेश करने से पहले या प्रत्येक अवसर पर रिमांड के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय धन शोधन के अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक अभिलेखों को देखने के लिए स्वतंत्र है। ***इसलिए, हमारी राय में, यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय उसके गिरफ्तारी के आधारों के बारे में मौखिक रूप से सूचित या अवगत करा दिया जाता है और उसे गिरफ्तारी के आधारों के बारे में जल्द से जल्द अर्थात् यथाशीघ्र और गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के उचित रूप से सुविधाजनक और अपेक्षित समय के भीतर, लिखित सूचना दे दी जाती है, तो यह न केवल पीएमएलए की धारा 19 का बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) का भी पर्याप्त अनुपालन होगा।"***

(ज़ोर दिया गया)

15. ***राम किशोर अरोड़ा*** (पूर्वोक्त) में निर्णय की घोषणा के बाद दोनों पक्षकारगण ने 19.12.2023 को मौखिक रूप से वर्तमान मामले का उल्लेख किया और मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया ताकि पक्षकारगण वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए उक्त निर्णय की प्रयोज्यता के संबंध में अपने-अपने प्रस्तुतीकरण दे सकें।

16. पूर्णता के लिए, यह ध्यान देने योग्य है कि सुनवाई के प्रारंभिक चरण के दौरान केस डायरी का हिस्सा बनने वाले 'गिरफ्तारी के आधार' का दस्तावेज भी न्यायालय को दिखाया गया था। हालाँकि, 21.12.2023 को ही प्रतिवादी/ईडी के विद्वान विशेष अधिवक्ता ने न्यायालय को 'गिरफ्तारी का आधार' सौंपा और उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दी गई। इसके बाद, उक्त

दस्तावेज 22.12.2023 को दायर किया गया, जो अब न्यायालय के अभिलेख का भाग है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मामला ***राम किशोर अरोड़ा*** (पूर्वोक्त) के निर्णय के अंतर्गत आता है। अपने तर्क को विस्तार से बताते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में निर्विवाद रूप से सूचित किया गया था और उसने गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने की स्वीकृति के रूप में अपने हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने शुरू से ही अपनी गिरफ्तारी के समय 'गिरफ्तारी के आधार' और 'गिरफ्तारी आदेश' / 'विश्वास करने के कारणों' के अस्तित्व को विवादित किया है जैसा कि 10.06.2023 के रिमांड आदेश से स्पष्ट है।

18. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 'गिरफ्तारी ज्ञापन' ही एकमात्र दस्तावेज है जो याचिकाकर्ता को दिया गया था, क्योंकि तलाशी कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी की गई थी, इसलिए पंचनामा में इसका संदर्भ मिलता है। पंचनामे में 'गिरफ्तारी आदेश' और 'गिरफ्तारी के आधार' का कोई संदर्भ नहीं है। श्री पाहवा के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के समय 'गिरफ्तारी आदेश' और 'गिरफ्तारी का आधार' दिखाया या उपलब्ध कराया गया होता, तो दिनांक 09.06.2023 के पंचनामे में इसका उल्लेख किया गया होता।

19. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 'गिरफ्तारी आदेश' प्रवर्तन भवन, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, नई दिल्ली में निष्पादित किया गया था न कि गिरफ्तारी के स्थान पर। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि उक्त दस्तावेज में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को प्रवर्तन भवन में गिरफ्तार किया गया था, यह दर्शाता है कि उक्त दस्तावेज उस समय अस्तित्व में नहीं था जब याचिकाकर्ता के निवास पर तलाशी ली गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालाँकि गिरफ्तारी आदेश पर गिरफ्तारी ज्ञापन प्राप्त करने की पावती के रूप में याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से इस बात की कोई पावती नहीं है कि उसे उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में भी सूचित किया गया है।

20. उन्होंने प्रस्तुत किया कि पंचनामा में भी यह दर्ज नहीं है कि 'गिरफ्तारी आदेश' और 'गिरफ्तारी का आधार' याचिकाकर्ता के निवास पर मुद्रित किया गया था, जैसा कि प्रत्यर्थी/ईडी ने अपने दिनांक 07.08.2023 के अतिरिक्त शपथपत्र में अभिवाक् दिया है।

21. *धन शोधन निवारण नियम, 2005* (इसके पश्चात् 'नियम' के रूप में संदर्भित) के नियम 2(ज) *(किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के आदेश की प्रति तथा उससे संबंधित सामग्री न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को भेजने का प्रारूप और तरीका तथा उसे रखने की अवधि)* का संदर्भ देते हुए उन्होंने प्रस्तुत किया कि आदेश का अर्थ है 'गिरफ्तारी आदेश' और इसमें गिरफ्तारी का आधार भी

शामिल है, लेकिन इसे याचिकाकर्ता को न तो 'दिखाया' गया और न ही 'दिया' गया था। उनका प्रतिवाद है कि 'गिरफ्तारी का आधार' प्रत्यर्थी/ईडी द्वारा गिरफ्तारी की तिथि से लगभग दो सौ दिन बाद सुनवाई के अंत में दिया गया।

22. संक्षेप में, श्री पाहवा ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी आदेश, पंचनामा, दिनांक 10.06.2023 और 20.06.2023 के रिमांड आवेदनों और विद्वान विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) द्वारा पारित संबंधित आदेश(शों) के संयुक्त पठन से एक अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि 'गिरफ्तारी का आधार' और 'गिरफ्तारी आदेश' न तो याचिकाकर्ता को दिखाया गया था और न ही प्रदान किया गया था, इसलिए, 09.06.2023 को याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पीएमएलए की धारा 19 का उल्लंघन है, जो इसे अवैध बनाती है।

23. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/ईडी के विद्वान विशेष अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का मामला शुरू से ही यह है कि याचिकाकर्ता को 'गिरफ्तारी का आधार' दिखाया गया था, लेकिन उसे गिरफ्तारी का आधार प्रदान नहीं किया गया था। अपने प्रतिवाद के समर्थन में, उन्होंने याचिका के आधार (घ) और (ङ), दिनांक 10.06.2023 के रिमांड आवेदन, दिनांक 10.06.2023 के रिमांड आदेश और याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.06.2023 के रिमांड आदेश में सुधार की माँग करते हुए दायर आवेदन का संदर्भ दिया।

24. दिनांक 10.06.2023 के रिमांड आदेश के पैरा 7 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने

अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले केस डायरी का परिशीलन किया था, इसलिए, उक्त आदेश में दर्ज निष्कर्ष केस डायरी में उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं, जिसमें 'गिरफ्तारी का आधार' भी शामिल है, इसलिए, उक्त निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। दिनांक 10.06.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"7. मैंने दोनों पक्षकारगण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा ईडी द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का भी अवलोकन किया है।"*
>
> *"8. ..... अभियुक्त के अधिवक्ता का प्रतिवाद यह है कि अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, अभिलेख के विपरीत है। अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध करा दिए गए हैं और उस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं तथा दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं।"*

25. उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.06.2023 के आदेश में सुधार की माँग की थी और इस प्रकार "प्रदान किए" शब्द को "दिखाया गया" शब्द से बदलने की प्रार्थना की थी, लेकिन किसी अन्य निष्कर्ष में कोई सुधार नहीं माँगा गया था, जो यह स्थापित करता है कि 'गिरफ्तारी का आधार' याचिकाकर्ता को दिखाया गया था और उसने इसके प्रतीक के रूप में विधिवत हस्ताक्षर किए थे।

26. 'गिरफ्तारी के आधार' की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री हुसैन ने कहा कि 'गिरफ्तारी के आधार' पर दो बिंदुओं पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित हैं और याचिकाकर्ता ने उस पर तिथि भी संलग्न

की है। इसके अतिरिक्त, इसमें वह समय भी शामिल है जब उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसकी पत्नी को दी गई, जो याचिकाकर्ता के इस प्रतिवाद को गलत साबित करता है कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में उसे सूचित नहीं किया गया है।

27. श्री हुसैन के अनुसार, 'गिरफ्तारी के आधार' से एक और पहलू यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी लिखावट में अपनी पत्नी का नाम भी उस व्यक्ति के रूप में लिखा है, जिसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 'गिरफ्तारी के आधार' पर यह दावा कि याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपनी पत्नी को 'वैयक्तिक रूप से' सूचित किया है, यह दर्शाता है कि गिरफ्तारी याचिकाकर्ता के निवास पर उसकी पत्नी की उपस्थिति में हुई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि गिरफ्तारी प्रवर्तन भवन में हुई होती तो 'वैयक्तिक रूप से' के बजाय 'टेलीफोन द्वारा' शब्द अधिक सार्थक होता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी के आधार पर दो स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर भी हैं।

28. गिरफ्तारी ज्ञापन की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि यह दस्तावेज याचिका का भाग है और इसमें गिरफ्तारी का स्थान डब्ल्यू-29, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, दिल्ली बताया गया है, लेकिन न तो याचिका में और न ही जमानत आवेदन में इस बात की चर्चा है

कि गिरफ्तारी का स्थान ग्रेटर कैलाश, भाग-II, दिल्ली में याचिकाकर्ता का निवास स्थान नहीं है।

29. पंचनामा का उल्लेख करते हुए, श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि पंचनामा में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया गया था और ऐसी सूचना प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में, याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर और तिथि डाली थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पंचनामा या उसमें दर्ज तथ्यात्मक पहलुओं पर कोई विशेष चुनौती नहीं दी गई है।

30. उन्होंने प्रस्तुत किया कि सभी दस्तावेज जैसे गिरफ्तारी ज्ञापन, गिरफ्तारी आदेश, पंचनामा, गिरफ्तारी के आधार आदि आधिकारिक दस्तावेज हैं, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ङ) के अंतर्गत उनकी सत्यता की उपधारणा है।

31. उन्होंने प्रतिवाद दिया कि ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने के संबंध में विधि को ***राम किशोर अरोड़ा*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित रूप में भावी रूप से लागू किया गया है, इसलिए, यह ***मोइन अख्तर कुरैशी बनाम भारत संघ (डीबी)*** में इस न्यायालय का निर्णय था, जो उस समय प्रभावी था जब याचिकाकर्ता को 09.06.2023 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ***मोइन अख्तर कुरैशी***

(पूर्वोक्त) के मामले में, 'गिरफ्तारी के आधार' के बारे में मौखिक संचार पीएमएलए की धारा 19(1) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन था।

32. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 'गिरफ्तारी के आधार' की विषय-वस्तु वही है जो 10.06.2023 को विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिमांड आवेदन में उल्लिखित है, इसलिए प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार यथाशीघ्र बता दिए थे। तदनुसार, पीएमएलए की धारा 19(1) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इस संबंध में ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) और ***राम किशोर अरोड़ा बनाम प्रवर्तन निदेशालय*** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

33. प्रत्युत्तर में, श्री पाहवा ने प्रस्तुत किया कि ***राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित बनाम भारत संघ*** मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) के निर्णय की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया था और गिरफ्तारी के आधार की एक प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता से संबंधित मुद्दे को इस न्यायालय की बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया था, इसलिए, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि कभी भी एक अच्छी विधि नहीं थी।

34. 'गिरफ्तारी के आधार' की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री पाहवा ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा केवल अंतिम पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो दस्तावेज के निष्पादन के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। श्री पाहवा के अनुसार, 'गिरफ्तारी के आधार' पर हस्ताक्षर केवल गिरफ्तार किए

गए व्यक्ति के अधिकारों को सूचित करने के उद्देश्य से है, जैसा कि ***पश्चिम बंगाल राज्य बनाम डी.के. बसु*** में पारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार है, और इसे 'गिरफ्तारी के आधार' के बारे में सूचित किए जाने की स्वीकृति नहीं माना जा सकता है।

35. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी/ईडी के विद्वान विशेष अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख का परिशीलन किया है।

36. पक्षकारगण का यह स्वीकृत मामला है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार की लिखित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जैसा कि ***राम किशोर अरोड़ा*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, अभियुक्त/गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत करने की आवश्यकता ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में 3 अक्टूबर, 2023 को पारित निर्देशों की तिथि तक अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं थी, इसलिए, याचिकाकर्ता, जिसे 09.06.2023 को गिरफ्तार किया गया था, को लिखित में गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत न करना अवैध अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता।

37. हालाँकि, जो विवाद अभी भी अनसुलझा है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे और यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या यह पीएमएलए की धारा 19(1) के आदेश का पर्याप्त अनुपालन है। इसमें ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में निर्णय की घोषणा की तिथि से

पहले प्रचलित विधिक स्थिति की जाँच करने की माँग की गई है, जिसमें पीएमएलए की धारा 19(1) के संदर्भ में गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी जानी थी।

38. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री हुसैन का प्रतिवाद यह है कि ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) के निर्णय से पहले, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय ही उस समय प्रभावी था। दूसरी ओर, श्री पाहवा का प्रतिवाद है कि ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि की सत्यता पर इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने ***राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित*** (पूर्वोक्त) में संदेह व्यक्त किया था, इसलिए, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय जो विधि प्रचलित थी वह ***राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि थी।

39. आगे बढ़ने से पहले, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि का संदर्भ लेना उचित होगा, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

> *"65. विद्वान अधिवक्तागण द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय पर विचार करने पर, विधिक रूप से जो स्थिति उभर कर आती है, वह निम्नानुसार है:*
>
> > *i. अनुच्छेद 22 के खंड (1) में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उद्देश्य गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी के मन में किसी भी गलती, मिथ्याबोध या गलतफहमी को दूर करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर प्रदान करना है, तथा यह भी जानना है कि उसके विरुद्ध आरोप क्या है,*

ताकि वह अपने दूसरे अधिकार, अर्थात अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श करने का तथा उसके द्वारा बचाव करवाने का, का प्रयोग कर सके। अनुच्छेद 22 का खंड (2) यह भौतिक सुरक्षा प्रदान करता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ताकि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक स्वतंत्र प्राधिकारी बिना विलंब किए उसके मामले पर विचार कर सके। मधु लिमये (पूर्वोक्त) देखें।

ii. न तो पीएमएलए की धारा 19(1) और न ही पीएमएलए गिरफ्तारी नियम के नियम 2 के उप-खंड (ज) में दी गई अभिव्यक्ति 'आदेश' की परिभाषा यह प्रावधान करती है कि ऐसी गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लिखित रूप में प्रदान करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के आधारों की मौखिक सूचना न केवल पर्याप्त है, बल्कि उपबंध का उचित अनुपालन भी है। *धारा 19(1) में यह भी नहीं कहा गया है कि गिरफ्तारी के आधारों के बारे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।* ***धारा 19(1) में "यथाशीघ्र" शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के तुरंत बाद नहीं बताए जा सकते, बल्कि जितनी जल्दी हो सके बताए जा सकते हैं। छगन चंद्रकांत भुजबल (पूर्वोक्त) देखें।***

XXXX XXXX XXXX XXXX

73. प्रासंगिक रूप से, पीएमएलए की धारा 19 भी "ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित करना" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है - जैसा कि अनुच्छेद 22(1) में उपयोग किया गया है, और "ऐसी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में बताना" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं करती है। विधानमंडल ने जानबूझकर "सूचित" शब्द का प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग अनुच्छेद 22(1) में भी किया गया है, क्योंकि धारा 19 गिरफ्तारी की

शक्ति से संबंधित है। धारा 19 की योजना सक्षम प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है, इसकी उप-धारा (2) में यह अनुबंध किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी "उप-धारा (1) के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद ..." गिरफ्तारी के आदेश की एक प्रति, अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के साथ, जिसके आधार पर यह उचित विश्वास बनता है कि वह व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी है, एक सीलबंद लिफाफे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को भेजेगा, जिसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए बाध्य है।

74. हम यह भी उल्लेख करेंगे कि धारा 19(1) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी पर यह दायित्व डाला गया है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में "यथाशीघ्र" सूचित करे। धारा 19(1) सक्षम प्राधिकारी को गिरफ्तारी के आदेश या गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के साथ ही सूचित/तामील करने के लिए बाध्य नहीं करती है। *वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के समय ही उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित कर दिया गया था।*

75. वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता को, किसी भी स्थिति में, उसकी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी तब मिली जब दिनांक 26.08.2017 को, अर्थात् उसकी गिरफ्तारी के अगले दिन, विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन सामग्रियों को शामिल किया गया था जिनमें वस्तुतः उसकी गिरफ्तारी के आधार भी शामिल थे। उक्त आवेदन, निश्चित रूप से, याचिकाकर्ता को 26.08.2017 को दिया गया था.....

76. इस प्रकार, याचिकाकर्ता को, किसी भी स्थिति में, अपनी गिरफ्तारी के आधार के बारे में तब पता चला जब उसे और उसके विधिक व्यवसायी को 26.08.2017 को पीएमएलए की धारा 65 के साथ पठित दं.प्र.सं. की धारा

167 के अंतर्गत आवेदन की एक प्रति प्रदान की गई थी, जिसमें उसकी ईडी की अभिरक्षा रिमांड की माँग की गई थी.....”

(ज़ोर दिया गया)

40. चूँकि, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में, ***छगन चंद्रकांत भुजबल बनाम भारत संघ*** में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय का विशेष संदर्भ दिया गया था, इसलिए, उक्त निर्णय से प्रासंगिक पैराग्राफ का भी संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जो निम्नानुसार है:-

*“190. **धारा 19(1) का उपबंध यह भी नहीं कहता कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तुरंत बताए जाएँ। उक्त प्रावधान में "यथाशीघ्र" शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के तुरंत बाद नहीं बताए जाएँगे, बल्कि शीघ्र अतः शीघ्र बताए जाएँगे।** यदि विधानमंडल का आशय यह होता कि गिरफ्तारी आदेश में ही गिरफ्तारी के आधार बताए जाएँ, वह भी लिखित रूप में, तो विधानमंडल ने 'तुरंत' या 'गिरफ्तारी के समय' शब्द का प्रयोग करके इस आशय का सख्त उपबंध किया होता। **तथ्य यह है कि विधानमंडल ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि 'यथाशीघ्र' शब्द का प्रयोग किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि गिरफ्तारी के आधार को लिखित रूप में सूचित करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और वह भी गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के तुरंत बाद। 'यथाशीघ्र' शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि गिरफ्तारी के ऐसे आधारों के बारे में शीघ्र अतः शीघ्र बताया जाना चाहिए।”*

(ज़ोर दिया गया)

41. स्पष्ट रूप से, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में स्थापित किया गया है कि (i) गिरफ्तारी के आधारों की मौखिक सूचना न केवल पर्याप्त है, बल्कि उपबंध

का उचित अनुपालन भी है; (ii) पीएमएलए की धारा 19(1) सक्षम प्राधिकारी को गिरफ्तारी के आदेश, या ऐसी गिरफ्तारी के आधारों को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के साथ ही सूचित/तामील करने के लिए नहीं, लेकिन यथाशीघ्र सूचित करने के लिए बाध्य करती है, और (iii) जब गिरफ्तार व्यक्ति, या उसके अधिवक्ता को ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 65 के साथ पठित दं.प्र.सं. की धारा 167 के अंतर्गत अभिरक्षा रिमांड की माँग करते हुए दायर आवेदन की एक प्रति प्रदान की जाती है, तो वह पीएमएलए की धारा 19(1) के अनुसार सूचित माना जाएगा यदि उक्त आवेदन में ऐसी सामग्री निर्धारित की गई है जिसमें वस्तुतः उसकी गिरफ्तारी के आधार भी शामिल हैं।

42. हालाँकि, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि की सत्यता पर इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने ***राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित*** (पूर्वोक्त) में संदेह जताया था और मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया था। ***राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित*** (पूर्वोक्त) से संबंधित उद्धरण निम्नानुसार है:

> *"56. न्यायिक अनुशासन के अनुरूप, चूँकि इस पीठ का यह विचार है कि मोइन अख्तर कुरैशी बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त) और वकामुल्ला चंद्रशेखर बनाम प्रवर्तन निदेशालय (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णयों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, इसलिए वह निम्नलिखित प्रश्नों को विचारार्थ एक बड़ी पीठ को संदर्भित करता है:*
>
> *(i) XXXX*
>
> *(ii) XXXX*

(iii)पीएमएलए की धारा 19 के साथ पठित पीएमएल गिरफ्तारी नियम के नियम 2(ज) और 2(छ) तथा नियम 6 और उसके प्रपत्र III के अंतर्गत, क्या पीएमएलए की धारा 19(1) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की प्रति प्रस्तुत करनी होगी? यदि हाँ, तो क्या उन्हें इतनी जल्दी प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत के लिए आवेदन कर सके या रिमांड के आवेदन का विरोध कर सके? ऐसा न करने के क्या परिणाम होंगे?"...

पूर्णता के लिए यहाँ यह उल्लेख किया जाएगा कि उपर्युक्त प्रश्न अब ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा सुलझा लिया गया है, लेकिन इसमें निहित निर्देश, जो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य बनाते हैं, प्रकृति में भावी हैं।

43. यह मुद्दा कि क्या ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) या ***राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि लागू होगी, इस न्यायालय को अब और अधिक समय तक रोके रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सामान्य विधि है कि किसी संदर्भ के बड़े पीठ के समक्ष लंबित रहने का मतलब यह नहीं है कि उसी मुद्दे से जुड़ी सभी अन्य कार्यवाहियाँ संदर्भ में निर्णय दिए जाने तक स्थगित रहेंगी। जब तक बार में उद्धृत निर्णयों में किसी भी तरह का संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक वे अपना प्रभाव बनाए रखते हैं।

44. इस स्थिति को माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में ***केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं अन्य*** में

दिए गए अपने निर्णय में भी दोहराया है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैरा निम्नानुसार है:

> *"35. हम अपने समक्ष उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों को देख रहे हैं, जिनमें वे इस आधार पर मामलों का निर्णय नहीं कर रहे हैं कि इस विषय पर इस न्यायालय का प्रमुख निर्णय या तो किसी बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया गया है या उससे संबंधित समीक्षा याचिका लंबित है।* ***हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं, जहाँ उच्च न्यायालयों ने इस न्यायालय के निर्णयों को इस आधार पर मानने से इनकार कर दिया कि बाद में गठित समन्वय पीठ ने उनकी सत्यता पर संदेह जताया। इस संबंध में, हम विधि में स्थिति स्पष्ट करते हैं। हम यह पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय मौजूदा विधि के आधार पर ही मामलों पर निर्णय करेंगे। जब तक कि इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से निर्देश न दिया जाए, किसी संदर्भ या समीक्षा याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित नहीं है, जैसा भी मामला हो। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह यह कहकर किसी निर्णय को मानने से इनकार कर दे कि बाद में गठित समन्वय पीठ ने उस निर्णय पर संदेह व्यक्त किया है। किसी भी मामले में, जब इस न्यायालय की समान शक्ति वाली पीठों द्वारा परस्पर विरोधी निर्णयों का सामना करना पड़ता है, तो उच्च न्यायालयों द्वारा पहले वाले निर्णय का अनुसरण किया जाना चाहिए,*** *जैसा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी, (2017) 16 एससीसी 680 में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। उच्च न्यायालय, निस्संदेह, अपने समक्ष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करेंगे।"*

45. उपर्युक्त कानून को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय अर्थात् 09.06.2023 को ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि प्रभावी था, जो स्थिति ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त)

में निर्णय की उद्घोषणा तक जारी रही, जिसके अंतर्गत ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) और ***छगन चंद्रकांत भुजबल*** (पूर्वोक्त) को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधारों का मौखिक संचार पीएमएलए की धारा 19(1) के उपबंधों का उचित अनुपालन था।

46. उपरोक्त स्थिति को ***राम किशोर अरोड़ा*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी से भी बल मिलता है, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि ***पंकज बंसल*** मामले में निर्णय की उद्घोषणा की तिथि तक गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में प्रस्तुत न करना न तो अवैध माना जा सकता है और न ही इसे लिखित रूप में प्रस्तुत न करने में संबंधित अधिकारी की कार्रवाई को गलत ठहराया जा सकता है।

47. अब हम उस तथ्यात्मक पहेली पर लौटते हैं जो वर्तमान मामले में अभी भी व्याप्त है और जिस पर निर्णय किए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के समय मौखिक रूप से बताया गया था, या लिखित शब्दों में दिखाया गया था, और इस प्रयोजन के लिए 'गिरफ्तारी के आधार' और अन्य समकालीन दस्तावेजों का संदर्भ अनिवार्य है।

48. स्पष्टतः, 'गिरफ्तारी के आधार' के दस्तावेज पर दो स्थानों पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर हैं। पहला, गिरफ्तारी के आधारों के वर्णन के तुरंत बाद। दूसरे, ***डी.के. बसु*** (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में

की गई टिप्पणी के नीचे, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के रूप में उसके अधिकारों के बारे में सूचित किया गया है और उसकी पत्नी को 09.06.2023 को "22.28" पर "वैयक्तिक रूप से" उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है। इसलिए, श्री पाहवा के इस प्रतिवाद में कोई बल नहीं है कि गिरफ्तारी के आधार पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर केवल ***डी.के. बसु*** (पूर्वोक्त) के आदेश के अनुपालन की स्वीकृति का प्रतीक है।

49. ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री पाहवा ने 'गिरफ्तारी के आधार' पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षरों से इनकार नहीं किया। हालाँकि, उनकी प्रस्तुति यह थी कि चूँकि 'गिरफ्तारी के आधार' के प्रत्येक पृष्ठ पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है। 'गिरफ्तारी के आधार' के दस्तावेज के परिशीलन से पता चलता है कि यह तीन पृष्ठों का है और इसमें विषय-वस्तु की निरंतरता तथा एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर टंकित विषय-वस्तु का प्रवाह प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज़ पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। विधि के किसी उपबंध का उल्लेख नहीं किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसमें यह अपेक्षित हो कि 'गिरफ्तारी के आधार' के प्रत्येक पृष्ठ पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान में रखना होगा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को ***पंकज बंसल*** (पूर्वोक्त) के निर्णय से पहले गिरफ्तार किया गया था, जब गिरफ्तारी के आधारों

के बारे में मौखिक संचार पीएमएलए की धारा 19(1) के उपबंधों का उचित अनुपालन था।

50. इसलिए, केवल इसलिए कि 'गिरफ्तारी के आधार' के प्रत्येक पृष्ठ पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, उक्त दस्तावेज के अस्तित्व पर अविश्वास करने या इस तथ्य को अर्थहीन करने का कारण नहीं हो सकता कि गिरफ्तारी के आधार याचिकाकर्ता को दिखाए गए थे और उसे सूचित किए गए थे।

51. गिरफ्तारी के आधार से स्पष्ट एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि याचिकाकर्ता ने ***डी.के. बसु*** (पूर्वोक्त) के निर्णय के संदर्भ में अपने स्वयं के हस्तलेख में सुधार किया है ताकि यह सम्मिलित किया जा सके कि उसकी पत्नी को 09.06.2023 को *"22:28"* पर *"वैयक्तिक रूप से"* उनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि गिरफ्तारी याचिकाकर्ता के निवास स्थान डब्ल्यू-29, ग्रेटर कैलाश, पार्ट- II, नई दिल्ली में हुई थी, जहाँ उसकी पत्नी निर्विवाद रूप से मौजूद थीं।

52. समकालीन रूप से तैयार किए गए पंचनामे में यह भी दर्ज है कि गिरफ्तारी अधिकारी ने याचिकाकर्ता को 'गिरफ्तारी ज्ञापन' प्रस्तुत किया था और उसे गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराया था और याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि उसकी गिरफ्तारी के आधारों से अवगत कराए जाने के प्रतीक के रूप में था। पंचनामा पर याचिकाकर्ता की पत्नी

के भी हस्ताक्षर हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पंचनामा की एक प्रति प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता/उसकी पत्नी को दी गई थी तथा उसे याचिका के साथ संलग्न भी किया गया है। केवल इसलिए कि पंचनामा में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किए जाने की स्वीकृति के प्रतीक के रूप में 'गिरफ्तारी के आधार' पर हस्ताक्षर किए हैं, पंचनामा में दर्ज की गई बातों को खारिज करने का कारण नहीं हो सकता, वह भी तब, जब उस पर किसी भी चरण पर विवाद नहीं किया गया हो।

53. याचिकाकर्ता का यह प्रतिवाद कि गिरफ्तारी आदेश दिनांक 09.06.2023 में दर्ज है कि याचिकाकर्ता को प्रवर्तन भवन में गिरफ्तार किया गया था, यह दर्शाता है कि उक्त दस्तावेज उस समय अस्तित्व में नहीं था, याचिकाकर्ता के निवास पर तलाशी ली गई थी, यह तर्क सही नहीं है। 'गिरफ्तारी आदेश' के परिशीलन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने अपने हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त, अपनी हस्तलिपि में दिनांक "9/6/23" और समय "22:28" भी जोड़ा है, जिस समय उसकी पत्नी को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था। इसलिए, उक्त दस्तावेज़ को पूर्व-दिनांकित या पूर्व-समयबद्ध नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक गिरफ्तारी के स्थान का सवाल है, 'गिरफ्तारी ज्ञापन' से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का स्थान उसका निवास स्थान डब्ल्यू-29, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली दर्शाया गया है और यह दस्तावेज

गिरफ्तारी की तिथि से ही याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध था, लेकिन याचिका या जमानत आवेदन में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि गिरफ्तारी का स्थान गलत दर्ज किया गया है और न ही विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति उठाई गई है। तलाशी पंचनामा से यह भी पता चलता है कि गिरफ्तारी याचिकाकर्ता के निवास पर दो स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में की गई थी। याचिकाकर्ता की पत्नी ने भी पंचनामा पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी के स्थान के संबंध में 'गिरफ्तारी आदेश' में कुछ टंकण संबंधी त्रुटि है, यह याचिकाकर्ता के फायदे के लिए प्रवृत्त नहीं होगा और उसकी गिरफ्तारी को दूषित नहीं करेगा।

54. इसके अतिरिक्त, 'गिरफ्तारी का आधार' और अन्य समकालीन दस्तावेज जैसे गिरफ्तारी ज्ञापन, पंचनामा और गिरफ्तारी आदेश का स्रोत आधिकारिक, अर्थात् प्रवर्तन निदेशालय है, इसलिए, वे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114(ङ) के अंतर्गत सत्यता की उपधारणा रखेंगे कि आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं। इस संबंध में ***देवेन्द्र पाल सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जाएगा, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> *"37. .....साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत यह कानूनी उपधारणा है कि न्यायिक और आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं। धारा 114(ङ) का स्वीकृत अर्थ यह है कि जब यह साबित हो जाता है कि कोई आधिकारिक कार्य किया गया है, तो यह माना जाएगा कि यह नियमित रूप से किया गया है। यह उपधारणा कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से*

काम करता है, पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि अन्य व्यक्तियों के पक्ष में, और बिना किसी ठोस आधार के उस पर अविश्वास करना और संदेह करना न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है। इस तरह के रवैये से न तो न्याय व्यवस्था की शोभा बढ़ेगी और न ही जनता का कोई भला होगा। इससे पुलिस प्रशासन की प्रतिष्ठा ही गिरेगी। (अहेर राजा खीमा बनाम सौराष्ट्र राज्य [एआईआर 1956 एस.सी. 217: 1956 आप एलजे 421] देखें।

55. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114(ङ) के अंतर्गत की जाने वाली पूर्वोक्त उपधारणा के अतिरिक्त, रिमांड आदेश में निम्नलिखित अभिवाकों और निष्कर्षों के रूप में अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है, जो बताती है कि 'गिरफ्तारी का आधार' दिखाया गया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता को तथ्य के रूप में सूचित किया गया था:

(i) ईडी ने 10.06.2023 को दं.प्र.सं. की धारा 167 के अंतर्गत एक आवेदन दायर कर याचिकाकर्ता की रिमांड की माँग की। उक्त आवेदन के पैरा 13 में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता को 'गिरफ्तारी का आधार' और 'गिरफ्तारी आदेश' दिखाया गया था, जिसे पढ़ने के बाद याचिकाकर्ता ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। पैरा 13 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

13. .... उसे गिरफ़्तारी का आधार, गिरफ़्तारी आदेश दिखाया गया, जिसे पढ़ने के बाद उसने अपने हस्ताक्षर किए। उसे 09.06.2023 के गिरफ़्तारी ज्ञापन के माध्यम से गिरफ़्तार किया गया।"

(ii) 10.06.2023 को विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित नहीं किया गया था, लेकिन विद्वान विशेष न्यायाधीश ने केस डायरी का परिशीलन करने के बाद उक्त तर्क को खारिज कर दिया। दिनांक 10.06.2023 के आदेश का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *"7. मैंने दोनों पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है तथा* ***ईडी द्वारा प्रस्तुत केस डायरी का भी अवलोकन किया है।"***
>
> ***"8. ..... अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रतिवाद कि अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, अभिलेखों के विपरीत है। अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए हैं और उस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं तथा दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं।"***
>
> *(ज़ोर दिया गया)*

(iii) इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 10.06.2023 के आदेश में संशोधन/सुधार की माँग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उक्त आदेश के पैराग्राफ 8 में अनजाने में 'दिखाया गया' शब्द के स्थान पर 'प्रदान किया गया' शब्द आ गया है, जैसा कि रिमांड आवेदन के पैराग्राफ 13 के अंतिम वाक्य में सही ढंग से दर्ज किया गया है। तदनुसार, 'प्रदान किया गया' शब्द को 'दिखाया गया' शब्द से

बदलने के लिए प्रार्थना की गई। सुधार आवेदन का प्रासंगिक पैराग्राफ और प्रार्थना खंड निम्नानुसार है:

> *"2. दिनांक 10.06.2023 के उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 8 के अंतिम वाक्य में, **अनजाने में 'प्रदान किया गया' शब्द आ गया है, जबकि रिमांड आवेदन के पैराग्राफ 13 के अंतिम वाक्य में सही रूप से दर्ज शब्द 'दर्शाया गया' है**...*
>
> XXXX XXXX XXXX XXXX
>
> *<u>प्रार्थना</u>*
>
> *तदनुसार, यह विनम्र प्रार्थना है कि उक्त आदेश दिनांक 10.06.2023 के पैराग्राफ 8 के अंतिम वाक्य में 'प्रदान किया गया' शब्द के स्थान पर 'दर्शाया गया' शब्द रखकर अनजाने में हुई त्रुटि को आवश्यक रूप से सुधारा जाए।"*
>
> (ज़ोर दिया गया)

(iv) विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 20.06.2023 के आदेश के अंतर्गत ईडी के रिमांड आवेदन के पैराग्राफ 13 में दिए गए प्रकथनों पर विचार करते हुए उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया। दिनांक 20.06.2023 के आदेश का प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार है:

> *"16. दं.प्र.सं. की धारा 167 के अंतर्गत 10.06.2023 को प्रस्तुत ईडी आवेदन के पैराग्राफ सं. 13 में निहित प्रकथन पर विचार करते हुए, मैं आवेदन में माँगे गए सुधार करने के लिए इच्छुक हूँ और तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ सं. 8 की अंतिम पंक्ति में **'प्रदान किया गया'** शब्द को **'दर्शाया गया'** शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है।"*

56. पूर्वगामी पैराग्राफ का वर्णन इस न्यायालय को दिनांक 10.06.2023 के रिमांड आदेश में दर्ज निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है, जिसे दिनांक 20.06.2023 के आदेश द्वारा सही किया गया है, जो इस प्रकार है (i) अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह प्रतिवाद कि याचिकाकर्ता/अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था, अभिलेखों के विपरीत है, (ii) याचिकाकर्ता/अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के आधार 'दिखाए' गए हैं, और (iii) गिरफ्तारी के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं और दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं।

57. यद्यपि याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.06.2023 के आदेश में सीमित सुधार की माँग की थी, जिसमें 'प्रदान किए गए' शब्द को 'दर्शाया गया' शब्द से बदलने की माँग की गई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से दिनांक 10.06.2023 के आदेश में दर्ज अन्य निष्कर्षों के संबंध में कोई सुधार नहीं माँगा गया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता उक्त निष्कर्षों से व्यथित नहीं है। वर्तमान याचिका में भी उक्त निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता को 'गिरफ्तारी का आधार' दिखाया गया था और उस पर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे तथा दो स्वतंत्र साक्षियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए गए थे, निर्विवाद रहा।

58. वर्तमान याचिका में भी इस बात का कोई स्पष्ट मामला नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया। यह मत दिया

गया है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार के रूप में कथित तौर पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया। याचिका का पैराग्राफ 8 निम्नानुसार है:

> *"8. इसलिए, यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि गिरफ्तारी का कोई आधार उसे बताया या समझाया नहीं गया है और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त,* ***याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के आधार वाले कुछ कथित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और गिरफ्तारी के आधार कभी भी उपलब्ध नहीं कराए गए।"***
>
> *(ज़ोर दिया गया)*

स्पष्टतः, इस तथ्य से कोई स्पष्ट इनकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी के आधार पर हस्ताक्षर किए थे, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए मत से यह पता चलता है कि उसने गिरफ्तारी के आधार पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसकी भौतिक प्रति उसे कभी नहीं दी गई। यह मत 10.06.2023 के रिमांड आदेश में दर्ज निष्कर्षों को न्यायोचित ठहराता है, जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्न नहीं उठाया गया था, और यह सही भी था क्योंकि याचिकाकर्ता को कभी संदेह नहीं हुआ कि उसने 'गिरफ्तारी के आधार' पर हस्ताक्षर किए थे। इसलिए, अब यह प्रतिवाद उठाया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को कभी भी 'गिरफ्तारी का आधार' नहीं दिखाया गया, जो अभिलेख के विपरीत है।

59. इस मुद्दे पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी/ईडी ने याचिकाकर्ता की रिमांड की माँग करते हुए दं.प्र.सं. धारा 167 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था और इसकी एक प्रति निर्विवाद रूप से 10.06.2023 को विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दी गई थी। रिमांड आवेदन को जब 'गिरफ्तारी के आधार' के साथ जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि रिमांड आवेदन में वस्तुतः गिरफ्तारी के आधार शामिल हैं, इसलिए, ***मोइन अख्तर कुरैशी*** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को पीएमएलए की धारा 19(1) के अनुसार गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया गया था, जब उसे ईडी द्वारा उसकी रिमांड की माँग के लिए गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था।

60. जहाँ तक याचिकाकर्ता का यह प्रतिवाद है कि संबंधित अधिकारी ने पीएमएलए की धारा 19 की उपधारा (2) के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी आदेश की प्रति और उसके पास मौजूद सामग्री तुरंत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को नहीं भेजी, तो यह प्रतिवाद भी गुणागुण रहित है। याचिकाकर्ता को 09.06.2023 को रात्रि 10:25 बजे गिरफ्तार किया गया, जो कि शुक्रवार की रात थी। श्री हुसैन के इस प्रतिवाद में बल है कि शनिवार अर्थात् 10.06.2023 और रविवार अर्थात् 11.06.2023 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का कार्यालय बंद रहा, इसलिए अन्य प्रासंगिक सामग्री के साथ गिरफ्तारी आदेश की प्रति 12.06.2023 को तुरंत

भेजी गई। यह सामान्य विधि है कि जहाँ किसी न्यायालय या कार्यालय में किसी कार्य के निष्पादन के लिए एक अवधि निर्धारित की गई है, और वह अवधि किसी अवकाश के दिन समाप्त हो जाती है, तो साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10 के अनुसार, यदि वह कार्य न्यायालय या कार्यालय के खुले रहने के अगले दिन किया जाता है, तो उसे उस अवधि के भीतर किया गया माना जाना चाहिए।

61. पीएमएलए की धारा 19(2) में प्रयुक्त 'तुरंत' अभिव्यक्ति से उत्पन्न दायित्व को संदर्भ और उस तरीके के आधार पर अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें गिरफ्तारी आदेश के साथ-साथ अन्य सामग्री को नियमों के अनुसार न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाना है। नियमों के नियम 3(5) एवं (6) में उक्त नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र II में पावती पर्ची के साथ एक मुहरबंद लिफाफे को बाहरी लिफाफे में रखने का तरीका बताया गया है। इसके बाद बाहरी लिफाफे पर मुहर लगाई जाएगी और उस पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का पूरा पता अंकित किया जाएगा। उक्त नियम के नियम 4 के अनुसार, प्रपत्र II में पर्ची पर न्यायनिर्णायक प्राधिकरण अथवा उसकी अनुपस्थिति में नामित अधिकारी की पावती अपेक्षित है, जो केवल कार्य दिवस पर ही संभव है। इसके अतिरिक्त, यह भी सर्वविदित है कि जब कानून में किसी कार्य को किसी विशेष ढंग से करने का प्रावधान है तो उसे केवल उसी तरीके से

किया जा सकता है। इसलिए, गिरफ्तारी के आदेश की एक प्रति और सामग्री को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को भेजने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

62. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध है। परिस्थितियों के अनुसार, मेरा मानना है कि आप.वि.वा. 4376/2023 और साथ ही जमानत आवेदन 2356/2023 खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज किए जाते हैं।

63. यह स्पष्ट किया जाता है कि मामले के गुणागुण पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि याचिका या जमानत आवेदन में इसका आग्रह नहीं किया गया था।

64. वर्तमान याचिका और जमानत आवेदन, साथ ही लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

65. कोर्ट मास्टर द्वारा हस्ताक्षरित आदेश हाथों से दिया जाए।

66. आदेश इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

न्या. विकास महाजन

08 जनवरी, 2024
डीएसएस/एन.एस.असवाल/एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*